358

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्याः– /XVII-3/14-20(बजट)/2012

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक:24 दिसम्बर, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 में अल्पसंख्यक कल्याण भवन, देहरादून के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18.03.2014, शासनादेश सं0–139/XVII-3/2013-20(बजट)/2012 दिनांक 28 फरवरी, 2013, शसनादेश सं0–478/XVII-3/2013-20(बजट)/ 2012 दिनांक 10 जुलाई, 2013, शासनादेश सं0–282/XVII-3/2014-20(बजट)/2012 दिनांक 29 मार्च, 2014 तथा शासनादेश सं0–290/XVII-3/2014-20(बजट)/2012 दिनांक 29 मार्च, 2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण भवन देहरादून के निर्माण, जिसकी कुल लागत **₹ 690.10 लाख** (₹ छः करोड़ नब्बे लाख दस हजार मात्र) है, (₹ 68.93 लाख की धनराशि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार एवं सिविल कार्य हेतु ₹ 621.17 लाख) के सापेक्ष वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13, वित्तीय वर्ष 2013–2014 में धनराशि ₹ 293.86 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्राविधानित धनराशि से ₹ 50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार अब तक अल्पसंख्यक कल्याण भवन निर्माण की धनराशि ₹ 690.10 लाख के सापेक्ष धनराशि ₹ 343.86 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

उक्त के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में द्वितीय अनुपूरक मांग के अन्तर्गत अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक–4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–800 अन्य व्यय–09 अल्पसंख्यक कल्याण भवन का निर्माण के अन्तर्गत उक्त भवन के निर्माण के लिए प्राविधानित एवं अवशेष **₹ 346.24 लाख (₹ तीन करोड़ छियालिस लाख चौबीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. स्वीकृत धनराशि का आगणन एवं व्यय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं कार्य को निर्धारित समय सारिणी (12 माह) के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि उक्त कार्य विशेष से सम्बन्धित कोई जांच बिन्दु लम्बित हो तो निदेशालय स्तर से धनराशि प्रदान करते समय समाधान अवश्य कर लिया जाये अन्यथा की स्थिति में पूर्ण दायित्व निदेशालय का होगा।

2. वित्तीय स्वीकृति के आधार पर निर्माण संगठन/कार्यदाई संस्था द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तत्पश्चात् निर्माण संगठन/कार्य दाई संस्था द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विस्तृत आंगणन के आधार पर तैयार की जायेगी।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान मे रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. उ0प्र0रा0नि0 निगम द्वारा एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय के अंतर्गत भवन कार्य प्रत्येक दशा मे पूर्ण कर भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाये। कोषागार से धनराशि आहरित करने से पूर्व एम0ओ0यू0 सम्पादन सुनिश्चित कर लिया जाये।

6. परीक्षण के सन्दर्भ मे नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्ज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18.03.2014 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

9. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित उपबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाए तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग मे लाया जाए।

11. कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अंतर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन के पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा। अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायेंगे। किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

12. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(आयोजनागत)- 00-800-अन्य व्यय-09 अल्पसंख्यक कल्याण भवन का निर्माण के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

13 यह आदेश शासन के संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी. S1412150241 **दिनांक 23 दिसम्बर, 2014** के द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:–1071 /XVII-3/2014-20(बजट)/2012 : तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 रा0नि0नि0 लि0 हरिद्वार इकाई हरिद्वार।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Minority Welfare (S064)

आवंटन पत्र संख्या - **1090/XVII-3/14-20(BUDGET)/2012** — एलोटमेंट आई डी - S1412150241

अनुदान संख्या - 015 — आवंटन पत्र दिनांक -23-Dec-2014

HOD Name - Director Minority Welfare (4132)

लेखा शीर्षक — 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय — 00 -

800 - अन्य व्यय — 09 - अल्पसंख्यक कल्याण भवन का निर्माण

00 - अल्पसंख्यक कल्याण भवन का निर्माण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	5000000	34624000	39624000
	5000000	**34624000**	**39624000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 34624000

भूपेन्द्र सिंह बोरा
अनुसचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन